

Prateek Upadhyay  
OFFICER - TRAINEE  
SHCIL - MATHURA

*Prateek*

12570/2019



INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh


e-Stamp



सत्यमेव जयते




Certificate No. : IN-UP06565641070718R  
Certificate Issued Date : 02-Sep-2019 03:02 PM  
Account Reference : SHCIL (FI)/ upshcil01/ MATHURA/ UP-MTH  
Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUPSHCIL0107812256192674R  
Purchased by : KRISHNA KUMAR  
Description of Document : Article 23 Conveyance  
Property Description : MOUZA JAINT TEHSIL AND DISTT MATHURA  
Consideration Price (Rs.) :  
First Party : MANOJ KUMAR SINGH  
Second Party : KRISHNA KUMAR  
Stamp Duty Paid By : KRISHNA KUMAR  
Stamp Duty Amount(Rs.) : 1,79,900  
(One Lakh Seventy Nine Thousand Nine Hundred only)




-----Please write or type below this line-----

*Manoj Kumar Singh*



*Krishna Kumar*



0003836511

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilstamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.



12570/2019

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CY 936621



{ 2 }

6 AUG 2019


॥ ओउम सिद्धिदात्री नमः ॥

लेखपत्र/विक्रयपत्र आराजी का संक्षिप्त विवरण-

1. भूमि का प्रकार : कृषि
  2. स्थित : मौजा जैत तहसील व जिला मथुरा।
  3. सम्पत्ति का क्षेत्रफल : बिक्रय रकवा 0.32825 हैक्टेअर
  4. सड़क की स्थिति : सड़क, खरंजा व आबादी से दूर स्थित है।
  5. प्रतिफल की धनराशि : 32,83,000 /-रूपये
  6. मालियत : 32,83,000 /-रु.
  7. देय स्टाम्प : 2,29,900 /-रु. जिसमें जनरल स्टाम्प-40,000 /-रु व 1,79,900 /-रु ई-स्टाम्प दिनांक 02.09.2019 जो इस प्रलेख के साथ संलग्न है।
  8. उक्त क्षेत्र की कृषि भूमि का सरकारी रेट -100,00,000 /-रुपया प्रति हैक्टेअर, जो पेज नं. कोड पर दर्ज है।
- कार्य क्षेत्र उपनिबन्धक ॥ मथुरा।

अक्षर

सिनाजी अग्रवाल







उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CY 936622

{ 3 }

6 AUG 2019

प्रथम पक्ष की संख्या : (1)

विक्रेता का विवरण

मनोज कुमार सिंह पुत्र श्री राधारमन निवासी छटीकरा तहसील व जिला मथुरा।

पेन : बी बी वी पी के 5786 क्यू

द्वितीय पक्ष की संख्या : (1)

क्रेता का विवरण

कृष्ण कुमार चौबिया पुत्र श्री रामनरेश निवासी 40, श्रीराधापुरम एस्टेट, सैक्टर-4, गनेशरा तहसील व जिला मथुरा।

पेन : ए आई के पी सी 0965 सी

मो-9897516341

मनोज कुमार



कृष्ण कुमार चौबिया







उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CY 936623

{ 4 }

6 AUG 2019

जोकि आराजी सक्रमणीय भूमिधरी नकल खतौनी फसली वर्ष 1423-1428 के अनुसार खाता सं. 00332 खसरा नं. 372 रकवा 2.6270 हैक्टेअर लगानी 63.90 रुपया सालाना स्थित मौजा जैत तहसील व जिला मथुरा, में विक्रेता का हिस्सा रकवा 0.6565 है० सम्पूर्ण अंश मिल्कियत विक्रेता प्रथम पक्ष की आराजी भूमिधरी है, जिस पर प्रथम पक्ष विक्रेता का ही कब्जा है तथा उक्त आराजी पर प्रथम पक्ष विक्रेता ही बहैसियत मालिक, काबिज व दखील चला आता है तथा प्रथम पक्ष विक्रेता का ही नाम राजस्व अभिलेखों व सरकारी कागजात नकल खतौनी आदि में दर्ज हैं। सिवाय प्रथम पक्ष विक्रेता के उक्त आराजी का अन्य कोई मालिक व हकदार नहीं है और न किसी जगह रहन व गिरवी आदि है तथा प्रथम पक्ष को उक्त आराजी की बाबत पूरे मालिकाना काबिजाना व हस्तान्तरण आदि के अधिकार प्राप्त है तथा उक्त आराजी किसी सरकारी संस्था या बैंक आदि में बंधक नहीं है और न किसी डिग्री में नीलाम या कुर्क है और ऐसा कोई व्यक्ति अथवा वस्तु नहीं है, जो उक्त आराजी के बेचने या हस्तान्तरण आदि करने में बाधा या रुकावट डाल सके और न ही प्रथम पक्ष ने उक्त आराजी की बाबत कोई इकरारनामा किसी के

श्री राजेश कुमार



श्री राजेश कुमार








CY 936624


उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

{ 5 }

6 AUG 2019

साथ तय किया है; यानि हर प्रकार के झगड़े झंझट व कर्जे व जमानत आदि से पाक साफ तन्हा प्रथम पक्ष विक्रेता की ही आराजी भूमिधरी है। उक्त आराजी काफी ज्यादा खार खडेदार कृषि भूमि है। उक्त आराजी से प्रथम पक्ष को कोई खास लाभ व आय नहीं है तथा काश्त से भी अच्छी आय नहीं हो पाती है और विक्रेता प्रथम पक्ष को अपने व अपने परिवार की जरूरतों के लिए धन की आवश्यकता है। अतः प्रथम पक्ष विक्रेता ने अपनी आराजी को विक्रय कर देना उचित समझा है। उक्त आराजी के विक्रय से प्राप्त धनराशि को कहीं और निवेश कर देने से प्रथम पक्ष को एक अच्छी व नियमित आय हो जावेगी और इस समय द्वितीय पक्ष उक्त आराजी को अच्छी कीमत देकर क्रय करने को तैयार है, इस कीमत में बेच देने में प्रथम पक्ष विक्रेता का सरासर लाभ है। अतः उक्त आराजी भूमिधरी हिस्सा रकवा 0.6565 है 0 सम्पूर्ण अंश में से बिक्रय रकवा 0.32825 हैक्टेअर भूमि जिसको संलग्न नक्शा मानचित्र में रंग लाल से दर्शाया गया है, को समस्त हकूक व अधिकारो सहित जो प्रथम पक्ष विक्रेता को प्राप्त हैं अथवा भविष्य में प्राप्त हो यानि कुल को बिना छोडे किसी भी हक व हिस्सा व सम्बन्ध के समस्त राईट्स व इन्ट्रेस्ट







भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CY 936625

{6}

6 AUG 2019

व गुड टाईटिल के व समस्त हकूक व अधिकारों सहित वखुशी बराजी अपने बरेवज 32,83,000/-रु. (बत्तीस लाख तिरासी हजार रुपये) में बदस्त कृष्ण कुमार चौबिया पुत्र श्री रामनरेश निवासी 40, श्रीराधापुरम-एस्टेट, सैक्टर-4, गनेशरा तहसील व जिला मथुरा, खरीदार द्वितीय पक्ष के हक में बेच दी और बिक्री कर दी और कीमत का कुल रूपया प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से निम्न भौति प्राप्त करके व कुल रुपये की प्राप्ती होना अंगीकार कर कब्जा व दखल बेची गयी आराजी रकवा 0.32825 हैक्टेअर भूमि पर खरीदार द्वितीय पक्ष का प्रथम पक्ष ने वाकई अपने समान पूरा मालिकाना करा दिया। द्वितीय पक्ष बेची गयी उक्त आराजी पर आज से एकमात्र मालिक व स्वामी हो गया। वह समस्त अधिकार मालिकाना, काबिजाना व हस्तान्तरण आदि प्रयोग में लावे और जिस प्रकार चाहे प्रयोग करे और जो चाहे सो करे तथा अपना नामान्तरण सरकारी कागजात व राजस्व अभिलेखों में प्रथम पक्ष के स्थान पर दर्ज करावे। अब बेची गयी उक्त आराजी से प्रथम पक्ष व उसके वारिसों का कुछ भी हक व हिस्सा व सम्बन्ध किसी प्रकार का शेष नहीं रहा और न कभी आयन्दा भविष्य में कदापि होगा। खरीदार द्वितीय पक्ष उक्त आराजी को चाहें

श्री राज कुमार

श्री राज कुमार





CY 936626

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

{7}

6 AUG 2023

जिस प्रकार से प्रयोग करे और जो चाहे सो करे, इसमें प्रथम पक्ष विक्रेता व उसके वारिसों को कुछ उज्र न होगा। यदि बेची गयी आराजी का जुज या कुल हिस्सा खरीदार से निकल जावे, या उसकी बाबत कहीं रहन व गिरवी आदि निकले या कोई भी झगडा झंझट आदि निकले या कोई वाद विवाद बिचाराधीन पाया जावे या खरीदार द्वितीय पक्ष को उसकी बाबत कुछ खर्च करना पडे या देना पडे, तो उस सबकी बिक्रेता प्रथम पक्ष की पूरी जिम्मेदारी होगी तथा विक्रेता स्वयं पूरे जिम्मेदार होंगे तथा खरीदार अपना मूल्य का कुल रूपया व समस्त हर्जा-खर्चा बिक्रेता प्रथम पक्ष व उसके वारिसान से वसूल करने के अधिकारी होंगे। बेची गयी आराजी विकास शुल्क क्षेत्र के अन्दर स्थित है। विक्रेता व खरीदार दोनों ही अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं है। विक्रयशुदा भूमि किसी भी ग्रामसभा सीलिंग भूदान आदि के पट्टा आबंटन की भूमि नहीं है और उक्त आराजी में कोई पेड बोरिंग कुँआ, ट्यूबवैल आदि नहीं है। अतः यह बैनामा प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष के हक में अपनी राजी खुशी से पूर्ण स्वस्थचित्त होशो-हवास में बिना किसी दबाब के स्वेच्छापूर्वक खूब सोच समझकर बिना किसी दबाब के लिख दिया, कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

मो. ज. गु. ग. र.



*[Handwritten signature]*



आवेदन सं०: 201900764032447

## विक्रय पत्र



बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 12570

वर्ष: 2019

प्रतिफल- 3283000 स्टाम्प शुल्क- 229900 बाजारी मूल्य- 3283000 पंजीकरण शुल्क - 20000 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग: 20060

सं० 026 तारीख 31/01/19  
 नाम श्री मनोज कुमार सिंह पुत्र/पत्नी श्री श्री सिद्धिस्मन नि०  
 व्यवसाय अग्र्य  
 निवासी ग्राम कटौकिया मथुरा  
 अरविन्द कुमार स्टाम्प विक्रेता



ला० नं० 11, रजिस्ट्री आफिस, मथुरा  
 ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 02/09/2019 एवं 03:33:35 PM बजे  
 निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

खलील अहमद (प्रभारी)  
 उप निबंधक : सदर प्रथम

मथुरा  
 02/09/2019

सतीश चौधरी,  
 निबंधक लिपिक

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CY 940127

{ 8 }


विवरण मूल्य का कुल रुपया प्राप्ती का-

मूल्य का कुल 32,83,000/-रु विक्रेता ने क्रेता से इस प्रकार प्राप्त किए कि-  
5,00,000/-रु चैक सं. 057735 दिनांक 31.08.2019 एक्सिस बैंक लि0  
10,00,000/-रु चैक सं. 251297 दिनांक 25.10.2019 एक्सिस बैंक लि0  
9,00,000/-रु चैक सं. 057736 दिनांक 25.12.2019 एक्सिस बैंक लि0  
8,83,000/-रु चैक सं. 057737 दिनांक 25.02.2020 एक्सिस बैंक लि0

श्रीमान सुभाष



*[Signature]*



आवेदन सं०: 201900764032447

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 12570

वर्ष: 2019

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त  
विक्रेता: 1

श्री मनोज कुमार सिंह, पुत्र श्री राधारामन

श्री कृष्ण कुमार चौबिया, पुत्र श्री रामनरेश



19  
श्री कृष्ण कुमार चौबिया, पुत्र श्री रामनरेश  
निवासी: 40, श्रीराधापुरम एस्टेट सेक्टर-4 गनेशर  
मथुरा  
व्यवसाय: अन्य

श्री कृष्ण कुमार चौबिया, पुत्र श्री रामनरेश

निवासी: 40, श्रीराधापुरम एस्टेट सेक्टर-4 गनेशर  
मथुरा

व्यवसाय: अन्य

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान  
पहचानकर्ता: 1

श्री पंकज गौतम, पुत्र श्री रामदेव गौतम

निवासी: छटीकरा मथुरा

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता: 2



श्री विवेक, पुत्र श्री नितिन

निवासी: महाविद्या कालौनी मथुरा

व्यवसाय: अन्य



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे  
नियमानुसार लिए गए हैं।  
टिप्पणी:खलील अहमद (प्रभारी)  
उप निबंधक: सदर प्रथम  
मथुरासतीश चौधरी,  
निबंधक लिपिक



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CY 940128

CY 940128

{ 9 }

यह प्रलेख दोनों पक्षों के निर्देशानुसार समक्ष गवाहान उन्हें पढ़ाकर, सुनाकर व दिखाकर ड्राफ्ट व टाईप किया गया है।





दिनांक : 02.09.2019  
टाईप किया : के० के० शर्मा, मथुरा।  
ड्राफ्ट किया : नितिन बंसल कातिब. रजिस्ट्री कार्यालय मथुरा।  
साक्षी-

1. मकज गौतम पुत्र श्री रामदेव गौतम  
नि० छटीकरा मथुरा।

2. विवेक पुत्र श्री नितिन  
नि० महाविद्या कॉलोनी मथुरा।

*Pernoy*



*Pernoy*

आवेदन सं०: 201900764032447

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 15171 के पृष्ठ 291 से 310 तक  
क्रमांक 12570 पर दिनांक 02/09/2019 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।




रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

जनरल स्टाम्प 5000 31-8-19  
..... स्टाम्प सं०.....  
..... पुत्र पत्नी.....  
सं० सं० 79

दिनेश कुमार सिंह  
दिनेश कुमार सिंह स्टाम्प विक्रेता  
सं० सं० 2 वर्ष 2012-13 रजिस्ट्री ऑफिस, मथुरा।

खलील अहमद (प्रभारी)  
उप निबंधक : सदर प्रथम  
मथुरा  
02/09/2019

नवशाहरी बाळ मोजा - जैत  
 रनसराण - 372 विडप रकवा - 0.32825 ई.  
 निडे ला - मंग जकुमा लिडे  
 कुला - कुणकुमा लिडे



आराजी अन्ध  
 लिडे ला  
 कुला



